

कार्यालय-जिला क्रीड़ा अधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल

पत्रांक-357/प्र0शि0प0/2026-27

दिनांक.02 सितम्बर, 2026

कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षक चयन हेतु प्रेस-विज्ञप्ति

जिला खेल कार्यालय नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल द्वारा वर्ष 2026-27 में खिलाड़ियों के उचित मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं खेल कौशल में वृद्धि हेतु शासनादेश संख्या 563/VI-3/2024-30(14)/2022 दिनांक 11 जुलाई, 2024, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-755/कॉ0प्रशि0पत्रा0/2026-27/दे0दून/दिनांक 18 जुलाई, 2026 एवं जिलाधिकारी महोदया, टिहरी गढ़वाल द्वारा दिये गये अनुमोदनार्थ दिनांक 03/08/2026 के अनुपालन में जिला खेल कार्यालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा वर्ष 2026-27 में खिलाड़ियों के उचित मार्गदर्शन/खिलाड़ियों के खेल कौशल में वृद्धि हेतु जिला खेल कार्यालय नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल के द्वारा चालू वर्ष 2026-27 में निम्न खेलों के स्थानीय प्रशिक्षण शिविर हेतु कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

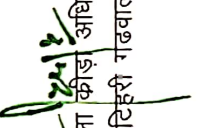
क्र0सं0	खेल प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	खेल का नाम
1	2	3
01	बौराड़ी स्टेडियम, नई टिहरी (टि0ग0)।	फुटबॉल
02	टेबल टेनिस हॉल, जिला खेल कार्यालय, नरेन्द्र नगर, टि0ग0।	टेबल-टेनिस
03	श्री पूर्णानन्द स्टेडियम, मुनि की रेती, टि0ग0।	बैडमिंटन
04	आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि- 10 सितम्बर, 2026 सांय 5.00 बजे तक होगी।	
05	आवेदकों के प्रमाण पत्रों का परीक्षण गठित समिति द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2026 को प्रातः 11.00 बजे से जिला खेल कार्यालय, नरेन्द्रनगर टि0ग0 में किया जायेगा एवं आवेदन अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।	

- 1- यह विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून/जिला प्रशासन टिहरी गढ़वाल से स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश प्राप्त होते हैं तो उक्त हेतु निर्धारित शर्तों/नियमों में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।
- 2- आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिनांक 01 अगस्त, 2026 को न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्रमशः 21 वर्ष एवं 70 वर्ष (शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए) होनी चाहिये।
- 3- सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों को कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक के रूप में चयनित नहीं किया जायेगा।
- 4- कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक चयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी ही पात्र होंगे।
- 5- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है नियुक्ति 15 मार्च, 2027 तक मान्य होगी। किन्तु प्रशिक्षण अवधि/संख्या बजट की उपलब्धता के आधार पर घटायी भी जा सकती है।


(दीर्घक रावत)
जिला क्रीड़ा अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

संख्या एवं दिनांक तदैव।

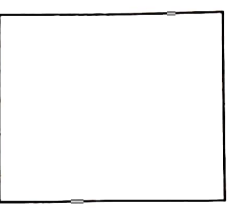
- प्रतिलिपि:-1- जिलाधिकारी महोदया, टिहरी गढ़वाल को उनके द्वारा नोटशीट में दिनांक 03/08/2026 को दी गयी स्वीकृति के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- निदेशक महोदया, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- विज्ञापन प्रभारी दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान, टिहरी गढ़वाल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विज्ञापित अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान देकर शासकीय दरों में उत्तराखण्ड संस्करण में दिनांक 03 सितम्बर, 2026 के अंक में प्रकाशित करने तथा बिल एक प्रति में जिला सूचना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल से सत्यापित कर इस कार्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 5- कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।


जिला काड़ा अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

।। जिला खेल कार्यालय टिहरी गढ़वाल।।

कॉट्रेक्ट खेल प्रशिक्षक के चयन हेतु आवेदन-पत्र वर्ष 2026-27

क्रमिक.....



1. खेल का नाम-(जिसके लिए आवेदन करना है).....

2. प्रशिक्षण शिविर स्थल का नाम

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम.....

4. पिता/पति का नाम.....

माता का नाम.....

5 जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार)

(1) अंको में-...../...../.....

(2) शब्दों में-.....

(आयु दिनांक 01 अगस्त, 2026 को 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)

6. नागरिकता-.....धर्म.....जाति.....

7. (क) स्थायी पता.....

.....

.....

.....

(ख) पत्र व्यवहार का पता-.....

.....

.....

.....

दूरभाष नं०-.....मोबाईल नं०.....

8. शैक्षिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण:- (प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाय)

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	श्रेणी
1	हाई स्कूल					
2	इण्टरमीडिएट					
3	एन.आई.एस. डिप्लोमा					
4	अन्य विवरण					

9 खेल संबंधी योग्यता का विवरण :- (प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिया संलग्न की जाय)

क्र.सं.	खेल का नाम	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता स्थल का नाम	प्रतियोगिता आयोजन तिथि	प्राप्त स्थान

श्री
जिला क्रीड़ा अधिकारी
नरेंद्र नगर (टि0 ग0)

कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक के लिए सेवा शर्तें:-

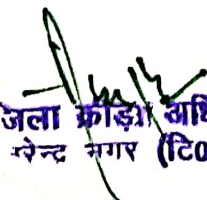
1. खेल प्रशिक्षण शिविर प्रत्येक दिन (राजकीय अवकाश को छोड़कर) नियमित रूप से संचालित किये जायेंगे।
(1) शीतकालीन (अक्टूबर से फरवरी) प्रातः 6.30 से 8.30 बजे सायंकाल 3.30 बजे से 5.30 बजे तक।
(2) ग्रीष्म कालीन (मार्च से सितम्बर) प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक सायंकाल 3.30 बजे से 6.00 बजे तक।
2. विभाग द्वारा निर्धारित समयानुसार प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण शिविर में अनुपस्थित होने/पाये जाने पर प्रशिक्षक की अनुपस्थित अवधि के मानदेय की कटौती की जायेगी, तथा लगातार अनुपस्थित रहने एवं विभाग के विपरीत कार्य करने पर प्रशिक्षक को प्रशिक्षण सेवाओं से मुक्त किया जायेगा। जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
3. जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा निर्धारित/निर्देशित खेल प्रशिक्षण/प्रतियोगिताओं को समय से सम्पादित करना अनिवार्य होगा, तथा समस्त विभागीय कार्यक्रमों में सहयोग देना अनिवार्य है।
4. खेल विभाग, टिहरी गढ़वाल द्वारा आयोजित खेल प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं के संचालन के साथ-साथ विभाग की उज्जवल गरिमा के लिए कार्य करना अनिवार्य होगा।
5. प्रशिक्षण शिविरों में खिलाड़ियों की संख्या विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगी, तथा प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त शुल्क कार्यालय में यथा समय जमा करना आवश्यक होगा।
6. वर्ष 2026-27 में कॉ0 प्रशिक्षक की नियुक्ति माह सितम्बर, 2026 से 15 मार्च, 2027 तक के लिए की जायेगी, नियमित नियुक्ति हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
7. कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक चयन हेतु केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी ही पात्र होंगे।
8. विभागीय मानकानुसार एक खेल में एक ही प्रशिक्षक रखा जाना है। माह सितम्बर, 2026 से 15 मार्च, 2027 से पूर्व विभाग द्वारा यदि किसी विभागीय प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाती है तो संबंधित खेल में चयनित कॉन्ट्रैक्ट/प्रशिक्षक की सेवायें विभागीय प्रशिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
9. मानदेय पर कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक की नियुक्ति के लिए बिना कारण बताये किसी भी प्रकार का संशोधन का अधिकार जिला क्रीड़ा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पास सुरक्षित होगा।
10. प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को मासिक प्रशिक्षण शिविर आख्या विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ण रूप में भरकर जमा करनी आवश्यक होगी, तभी प्रशिक्षण शिविर संचालित माना जायेगा तथा तदनुसार मानदेय की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।
11. प्रशिक्षण शिविरों के संचालन के लिए निर्धारित मात्रानुसार खेल सामग्री निर्गत की जायेगी तथा निष्प्रयोज्य सामग्री जमा करने का उत्तरदायित्व संबंधित कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक का होगा।
12. प्रशिक्षण शिविर संचालित करने के उद्देश्य लक्ष्यमूलक होने चाहिए, तथा खेल विभाग की विभिन्न योजनाओं के परिणाम परिलक्षित होने चाहिए, तभी यह समझा जायेगा कि प्रशिक्षण शिविर उद्देश्यपूर्ण है तथा प्रत्येक माह में प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धियां कार्यालय में जमा करानी है।
13. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों को कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक के रूप में चयनित नहीं किया जायेगा।

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे खेल विभाग की खेल प्रशिक्षण शिविर की उपरोक्त सेवा शर्तें मान्य हैं। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सत्य एवं सही हैं और मैंने इस विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदनपत्र में यदि कोई विवरण/सूचनायें असत्य या गलत पाई जाये या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाता पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये/समझा जाये, यदि नियुक्ति पाये जाने के उपरांत ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाये, इसके अतिरिक्त नियुक्ति के लिए मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का किया गया दावा अमान्य होगा।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

5/5


जिला क्रीड़ा अधिकारी
रेन्ट नगर (टि0 गा0)